न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 161/2011

1. रामेश्वर पुत्र सुगना कौम माली निवासी सिलोरा रोड़ मालियों की बाड़ी किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

वादीगण

बनाम

1. इमरान खान पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी मरूधर केसरी, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 03/09/2024

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार — प्रतिवादी सं0 1 अभिभाषक

श्री अजय सिंह — वादीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2017 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वाद माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् कृषि भूमि खसरा संख्या 2229, 2230 के बाबत् दिनांक 23.01.2011 को संस्थित किया है। वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि ख0नं0 2229, 2230 के खातेदार नहीं है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का वाद संस्थित किये जाने का कारण खातेदार को ही उद्भूत होता है। इस परिपेक्ष्य में वाद संस्थन का वादी को कारण उद्भूत नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 2229, 2230 के अन्य कई सह खातेदार है, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 211 के प्रावधानों के प्रतिकूल विधि से त्रुटिग्रस्त है। प्रस्तुत वाद संस्थन समय समान तथ्यों का वाद वादीगण के पिता सुगना का खारिज हो चुका है। अतः यह वाद इस

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

परिपेक्ष्य में विधि से वर्जित है। प्रार्थना पत्र पैरा सं0 3 से 5 में वर्णित आधार प्रथम दृष्टया ही पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजो से परिलक्षित होते है। उपरोक्त प्रकरण पैरा सं0 3 से 5 में वर्णितानुसार विधि से वर्जित होने के कारण उसकी अग्रिम कार्यवाही विधि अनुज्ञात नहीं है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

3. वादीगण की ओर से वकील श्री अजय सिंह द्वारा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर दिनांक 07.01.2019 को लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के पैरा सं0 1 के कथन तारीख पेशी से संबंधित है जो सही है। वादीगण के पिता तथा अन्य खातेदारों ने ख0नं0 2229, 2230 कृषि भूमि में आपसी सहमती से मौखिक बंटवारा कर लिया था तभी से सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता सुगना को ख0नं0 2229, 2230 में मौखिक बंटवारे के रूप में दो टुकड़ो में भी बंटवारे के रूप में प्राप्त हुई थी जिसमें एक हिस्सा रोड़ के पास था तथा दूसरा हिस्सा रोड़ से दो खेत छोड़कर प्राप्त हुआ था। दूसरा हिस्सा जो वादीगण के पिता को प्राप्त हुआ जो दो खेत छोड़कर था उस हिस्से का बैचान उन्होने अपने जवाई गोपाल को बैचान कर कब्जा दे दिया तथा रोड़ वाला हिस्सा सुगना ने अपने पास रखा। बाद में सुगना के जवाई गोपाल की नियत खराब हो गयी और उन्होने सुगना का हिस्सा जो रोड़ पर था उस हिस्से को अपना बताकर प्रतिवादी इमरान को बैचान कर दिया था जबकि गोपाल को बैचान दो खेत छोड़कर भूमि का बैचान किया था और रजिस्ट्री भी गोपाल के पक्ष में दो खेत छोड़कर भूमि की कराई थी लेकिन प्रतिवादी इमरान उस रजिस्ट्री की आड़ में वादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि जो रोड़ से अड़ाकर थी उस पर कब्जा करना चाहा जिस पर विवाद होने पर उसके खिलाफ यह वाद प्रस्तुत किया गया है तथा गोपाल व इमरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कराया गया था जिस पर न्यायालय ने गोपाल के खिलाफ संज्ञान लिया गया जो विचाराधीन है। इस प्रकार प्रतिवादी का यह आरोप वादी खातेदार नहीं है के कथन सरासर गलत है। वादीगण आज भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त है। प्रतिवादी वादी के इस हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है जिसके लिये यह वाद पेश किया गया है। ख0नं0 2229 तथा 2230 की भूमि में सभी खातेदारों ने आपसी सहमती से मौके पर मौखिक बंटवारा कर लिया था जिसमें किसी को कोई एतराज नही है प्रतिवादी इमरान वादीगण के हिस्से पर कब्जा करना चाह रहा था इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद

प्रस्तुत किया। वादीगण ने रोड़ वाले हिस्से के संबंध में पहली बार वाद प्रस्तुत किया है। उनके पिता ने इस हिस्से के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। अतः वादी अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

3.1 वकील प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि ख0नं0 2229, 2230 के खातेदार नहीं है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 का वाद संस्थित किये जाने का कारण खातेदार को ही उद्भूत होता है। इस परिपेक्ष्य में वाद संस्थन का वादी को कारण उद्भूत नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 2229, 2230 के अन्य कई सह खातेदार है, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 211 के प्रावधानों के प्रतिकूल विधि से त्रुटिग्रस्त है।

4. हमारे द्वारा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 एवं शपथ व वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् कि ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस सुनकर उस पर मनन किया।

वादीगण द्वारा अपने वाद अन्तर्गत धारा 188 के माध्यम से प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदारी नहीं है, जबकि प्रतिवादी सं0 1 रिकार्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपने दावे में अंकन किया है कि उनके पिता सुगना द्वारा अपनी खातेदारी भूमि रकबा 06-01-00 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो रोड़ से दो खेत पीछे स्थित है का दिनांक 22.10.1999 को प्रतिवादी सं0 2 को बैचान किया गया था एवं शेष बची हुई भूमि जो रोड़ से लगती हुई है का वादीगण को बैचान किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो की उनके पिता सुगना द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख रोड़ से दो खेत छोड़कर पीछे स्थित हो तथा वादीगण के पिता सुगना पुत्र हुक्मा द्वारा पूर्व में पेश वाद अन्तर्गत धारा 188 भी ख0नं0 2229 में से विक्रित 1/2 हिस्सा बाबत् ही था जिसमें भी वाद कारण सड़क के लगवा स्थित भूमि पर कब्जे को लेकर था एवं दादी सुगना द्वारा उक्त वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर वाद संख्या 106/2011 को नोटप्रेस किया गया था। अतः वादीगण के रिकार्डेड खातेदार नहीं होने तथा पूर्व

प्रस्तुत वाद एवं उक्त वाद एक समान प्रकृति के होने तथा वादीगण द्वारा किसी विशिष्ट हिस्से के बैचान बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वे प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है, जिसके कारण वादीगण का उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03/09/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)